

क्रमांक:

दिनांक:

265
16-5-2015

प्रेषक: वन मंडल अधिकारी
अम्बाला ।

सेवा में: वन संरक्षक उत्तरी परि०
हरियाणा, पंचकूला ।

विषय: Diversion of 0.0540 Ha. of Forest land for erection of 66 KV D/C Line LILO of 66 Kv Sonta-Sonda line for 66 Kv S/Stn. Majri, Ambala Haryana.

उपरोक्त विषय के बारे में आपको सूचित किया जाता है कि *Executive Engineer, Trans. System Division, HVPNL, Ambala City* द्वारा Sonta-Sonda line for 66 Kv S/Stn. Majri, Ambala Haryana में ट्रान्समिशन लाइन लगाई जानी है जिसमें वन विभाग की 0.540 है० वन भूमि उपयोग किया जाएगा तथा इसमें 4 पेड़ तथा 42 पौधे बाधक हैं।

प्रतिपूर्ति पौधारोपण 58687/-रु०, एन०पी०वी० 47898/-रु० तथा फैलिंग चार्जिज 10171/-रु० कुल 116756/-रुपये की राशि प्रयोक्ता एजेंन्सी से प्राप्त की जाएगी। प्राप्त राशि से बाबाहेड़ी माईनर कि०मी० ० से 3 दाई/बाई ओर में पौधारोपण करवाया जाएगा। इस प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम की उल्लंघना नहीं है।

अतः प्रयोक्त एजेंन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत दिए गए प्रपत्रों, अन्य आवश्यक प्रपत्रों व प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम इत्यादी की 4-4 प्रतियां आगामी कार्यवाही हेतु सलग्न प्रेषित है।

सलग्न/उपरोक्त।

वन मण्डल अधिकारी,
अम्बाला वन मण्डल,
अम्बाला।

पृ० क्रमांक:-

266-67

दिनांक:- 16-5-2015

एक प्रति निम्न को:-

- 1 *Executive Engineer, Trans. System Division, HVPNL, Ambala City* को सूचनार्थ प्रेषित है।
- 2 वन राजिक अधिकारी, अम्बाला को उनके पत्र क्र० 63 दि० 29.04.2015 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

वन मण्डल अधिकारी,
अम्बाला वन मण्डल,
अम्बाला।